भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी सदर कोषागार 13 JUN 2013 हरिद्वार

उत्तरांचल UTTARANCHAL

A 123169

न्यास घोषणा–पत्र

मैं, नसीम अहमद पुत्र श्री दिलशाद आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी–**मं सं0–258, ग्राम–रहमतपुर,पो0–पीरान कलियर, रूड़की हरिद्वार का हूँ।** मैं भारत को एक शिक्षित एंव समृद्ध राष्ट्र के रुप में देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं इस पवित्र उद्देश्य हेतु उच्चस्तरीय शिक्षा संस्थान खोलने एंव सामाजिक चेतना जगाने का प्रण लिया हैं। जिससे शिक्षित एंव समृद्ध राष्ट्र का निर्माण हो। इसी उद्देश्य से मैं, आज दिनांक **17–07–2013** को **15000/- रू0 (पन्द्रह हजार रूपये)** मात्र की प्रारम्भिक राशि से न्यास के स्थापना की घोषणा करता हूँ।

इस न्यास का नाम, कार्यालय, कार्यक्षेत्र, पवित्र उद्देश्य आदि निम्नलिखित होंगे –

1. न्यास का नाम : साबरी बुलबुल दिलशाद अली ट्रस्ट
2. पंजीकृत कार्यालय : ग्राम–रहमतपुर,पो0–पीरान कलियर, त0 रूड़की जिला हरिद्वार
3. कार्यक्षेत्र : समस्त भारत
4. न्यास के उद्देश्य
   1. ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना। योग शिक्षा कालेज, बी0एड0 कालेज, तकनीकी शिक्षा कालेज ,मेडिकल कालेज एंव उच्चतर शिक्षा के कालेजो की स्थापना करना तथा उच्चतर शिक्षा हेतु यूनिवर्सिटी की स्थापना करना व उनमें श्रेष्ठतम शिक्षा उपलब्ध कराना।

शेष पृष्ठ – 2 पर

PRASHANT RAJPUT Advocate Jwalapur, Haridwar

(Voter I.d. N: YRE0123828)

उत्तरांचल UTTARANCHAL

कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी सदर कोषागार 13 JUN 2013 हरिद्वार

A 123170

2. ट्रस्ट द्वारा निम्नतर व उच्चतर शिक्षा सम्बन्धित समस्त कालेजों की स्थापना करना जिसमें शिक्षा का पूर्ण रूप से प्रचार व प्रसार हो सके एंव खेल कूद से सम्बन्धित शिक्षण–प्रशिक्षण खोलना।
3. समाज कल्याण विभाग, नगर निगम विभाग एंव नगर पालिका विभाग द्वारा संचालित सभी विभिन्न योजनाओं को संचालित कर क्रियान्वित करना एंव इन योजनाओं के कार्य उद्देश्य पूर्ति हेतु शासन द्वारा मिलने वाली सहायता व लाभ उपलब्ध कराना।
4. ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के क्रियान्वन हेतु केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करना।
5. बच्चों व महिलाओं की शिक्षा हेतु सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र में योग एंव मानव चेतना विकास केन्द्रों को स्थापित करना और बच्चों की शिक्षा व शारीरिक विकास हेतु विद्यालय, कम्प्यूटर केन्द्र, वाचनालय, व्यायामशाला, शिशुपालन केन्द्र एंव देश–विदेशों में केन्द्रीय सरकार एंव प्रान्तीय सरकारों द्वारा प्रदत्त योजनाऐं संचालित करना।
6. समाज के विकलांग, निर्धन एंव मूक बाधिर बच्चों हेतु आवासीय शैक्षिक संस्थान की व्यवस्था करना एंव उन्हें निःशुल्क अध्ययन सामग्री उपलब्ध क़राना।
7. भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रचार–प्रसार का कार्य करना तथा योग, आयुर्वेद, ज्योतिष के विकास के लिए विविध विद्यालय, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय तथा आध्यात्मिक एंव गुरूकुल पद्धति पर आधारित आश्रमों को स्थापित करना।

शेष पृष्ठ–3 पर

Naseem Ahmed

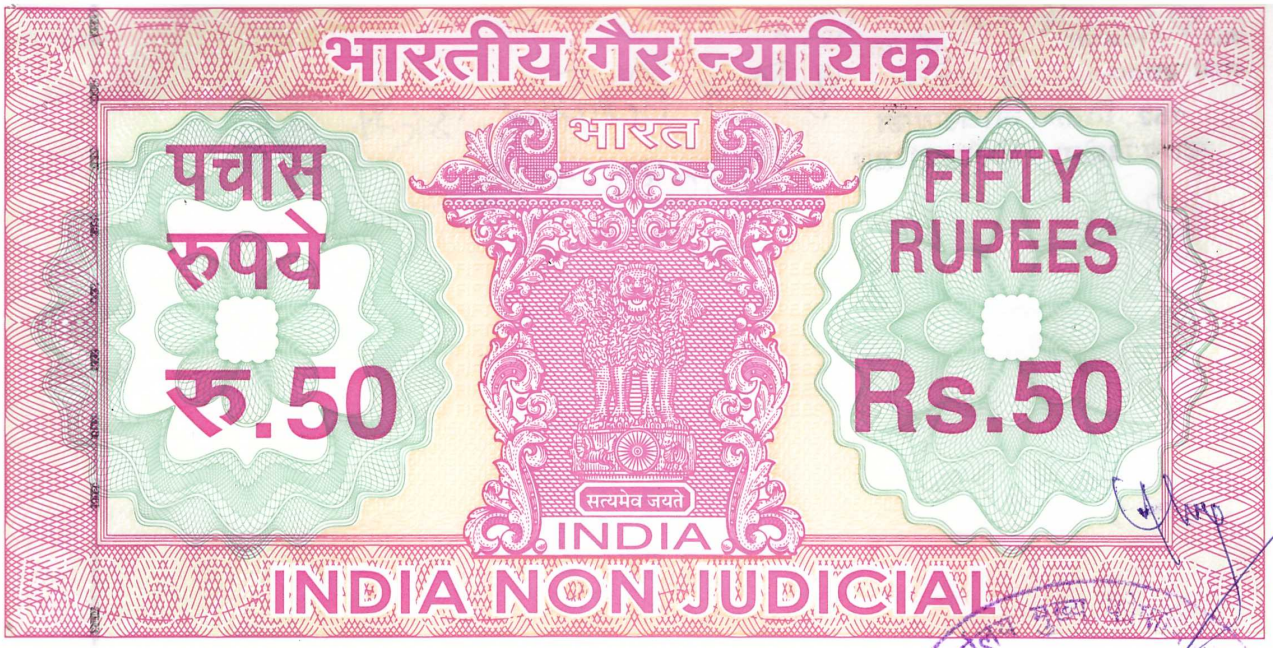

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

सदर B 255077

21 JUN 2013

8. योग एंव आयुर्वेद अनुसन्धान व शोध संस्थान, शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान, प्रकाशन संस्थान, संस्कृत विद्यापीठ, सी0बी0एस0ई0 पैटर्न आवासीय विद्यालय, जड़ी बूटी शोध संस्थान, परिवार कल्याण योजना, स्वास्थ्य कल्याण योजना, परमार्थ सत्संग भवन, अनाथलय, छात्रावास, वृद्धाश्रम, मदरसा,मख्तब, नारी निकेतन, सत्संग भवन, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, गौशाला, धर्मार्थ चिकित्सालय एंव महिला कल्याण केन्द्रों की स्थापना करना।
9. भ्रूण हत्या विरोधी कार्यक्रम चलाना तथा लोगो में जागरूकता पैदा करना तथा महिलाओं के उत्थान हेतु प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करना। महिलाओं एंव बच्चों के चारित्रिक, आर्थिक एंव शारीरिक व बौद्धिक विकास हेतु विभिन्न कार्य करना एंव उक्त कार्यों के उद्देश्य पूर्ति हेतु शासन से मिलने वाली सहायता व लाभ उपलब्ध कराना।
10. जनजातिय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था करना तथा उनके स्वरोजगार का प्रबन्ध करना।
11. वृक्षारोपण के लिए जन–जागरण कार्यक्रम चलाकर लोगों को सामाजिक वानिकी की महत्ता बताना तथा शासन को सामाजिक वानिकी एंव ग्रामीण उत्थान हेतु क्षेत्र में सहयोग करना।
12. पॉलिथीन उन्मूलन कार्यक्रम चलाना एंव जनजागरण के द्वारा जनसामान्य में पॉलिथीन उपयोग ना करने हेतु जागरूकता पैदा करना एंव पॉलिथीन के स्थान पर कागज अथवा जूट के थैलों का उपयोग करने के लिए प्रचार करना।

शेष पृष्ठ 4 पर

13. समाज को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए सम्मेलनों, गोष्ठियों, सेमिनारों का आयोजन करना तथा उसके माध्यम से नागरिकों को पर्यावरण शुद्धि हेतु आवश्यक एंव पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से जन–जीवन को होने वाली हानि से जानकारी उपलब्ध करना।
14. दैवीय आपदाओं जैसें– सूखा, भूकम्प, बाढ़, अग्निकाण्ड से पीड़ित जनता के मध्य कार्य करना। उन्हें दवा, भोजन, वस्त्र एंव वित्तिय सहायता पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करना।
15. कूड़ें के निष्पादन के लिए प्रशासन के सहयोग से उचित व्यवस्था करना एंव करवाना।
16. ट्रस्ट के समस्त उद्देश्यो की पूर्ति करने के लिए देश एंव विदेश की गैर–सरकारी संस्थाओं/सरकारी संस्थाओं/बैंको से सहयोग प्राप्त कर उद्देश्यों को कियान्वित करना।
17. गरीब विद्यार्थियों, वृद्ध असहाय स्त्रियों आदि को जीवनयापन हेतु सहायता प्रदान करना, उन्हें चिकित्सा शिक्षा आदि देकर रोजगार योग्य बनाकर नया जीवन प्रदान करना एंव उनके लिए छोटे–छोटे कुटीर उद्योग स्थापित कराने में सहायता देना एंव मार्गदर्शन करना।
18. ट्रस्ट द्वारा युवतियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्हें शिक्षा व टाइपराईटिंग, स्टेनों, कम्प्यूटर, सिलाई–कढ़ाई, सौन्दर्य प्रसाधन, कुकिंग, ड्राइंग एण्ड पेन्टिग, हैन्डीक्राफ्ट आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विद्यालय स्थापित करना।
19. अन्य समस्त वह कार्य करना जो समाज व राष्ट्रहित में हों

5. न्यास के धन का विनियोग

(i) न्यास कें धन का विनियोग आयकर अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

(ii) दानी सज्जनों द्वारा दिया गया धन अथवा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय व राज्य सरकार /केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सभी प्रकार के अनुदान उपरोक्त उद्देश्यों के लिए समर्पित रहेगा। न्यास किसी भी प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति खरीद सकेगा। यदि किसी कारणवश कोई अचल सम्पत्ति को विक्रय करना भी पड़े तो विशेष आवश्यकता बताते हुए बैठक में यह प्रस्ताव पास कराना होगा। इसमें अध्यक्ष तथा ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 संख्या की सहमति अनिवार्य होगी।

(iii) दान में चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना, न्यास कार्य हेतु सम्पत्ति का हस्तान्तरण करना, विनिमय करना।

6. न्यासी मण्डल का गठन

इस न्यास के प्रबन्धन हेतु एक न्यासी मण्डल का गठन किया जायेगा। इस न्यास के संस्थापक/अध्यक्ष न्यास में आजीवन अपनें पद पर बने रहेंगे। इस प्रकार न्यास मण्डल की कुल सदस्य संख्या वर्तमान में (अध्यक्ष सहित) 5 होगी। न्यास के न्यासियों की संख्या अध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम 3 एंव अधिकतम 11 होगी।

7. न्यासी मण्डल का कर्तव्य एंव अधिकार क्षेत्र

(i) अध्यक्ष/संस्थापक–

(a) इस न्यास के अध्यक्ष श्री नसीम अहमद न्यास के होने वाली सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष स्वंय करेंगें।

शेष पृष्ठ 5 पर

Naseem Ahmad

(b) संस्थापक/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपने किसी योग्य उत्तराधिकारी को ट्रस्ट का अगला अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। अगर वह अपने जीवन काल में यह कार्य नही कर पाये, तथा संस्थापक/अध्यक्ष महोदय के परिवार से ही किसी योग्य व्यक्ति को ट्रस्ट का अगला अध्यक्ष बनाया जा सकेगा अगर फिर भी किसी उत्तराधिकारी के न होने की स्थिति में न्यासी मण्डल 2/3 के बहुमत से ट्रस्ट का अगला अध्यक्ष नियुक्त करेंगें, यह परम्परा चलती रहेगी।

(c)अध्यक्ष न्यास मण्डल के सदस्यों, पदाधिकारियों, सचिव तथा कोषाध्यक्ष का मनोनीत करेंगे। किसी पद के रिक्त होने पर, उसके कार्य का संचालन तब तक स्वयं अध्यक्ष करते रहेंगे जब तक की पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती। श्री नसीम अहमद जी इस संस्था के आजीवन अध्यक्ष बने रहेंगें।

(d) न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं/शाखाओं में भी अध्यक्ष ही व्यवस्थापक को मनोनीत करने एव प्रबन्ध तथा संचालन के लिए सक्षम होगा।

(e) किसी व्यवस्था पर समुचित फैंसला न होने पर अध्यक्ष अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर उचित फैंसला कर सकते हैं। किसी भी समय, अगर अध्यक्ष को लगता हैं कि न्यासी मण्डल अपने उद्देश्यो के प्रति सही कार्य नही कर रहा है तब न्यासी मण्डल को भंग करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को होगा।

(f) संस्था के हित में प्रयत्न करना एंव सम्पत्ति का बराबर निरीक्षण करना एवं रख–रखाव व लेन–देन करना।

(g) न्यास की बैठक बुलाने या परिवर्तन करने से सम्बन्धित स्वीकृति देना।

(h) ट्रस्ट की तरफ से समस्त प्रकार की कानूनी कार्यवाही करना।

(ii) उपाध्यक्ष

अध्यक्ष के कार्य में सहायता व सहयोग करेगा।

(iii) सचिव

बैठकों की सम्पूर्ण कार्यवाही को लिखना, बैठकें आयोजित करने हेतु व्यवस्था करना, पत्र–व्यवहार करना, संस्था को प्राप्त हुए धन की रसीदें देना, आय–व्यय का हिसाब रखना व वार्षिक बैठक में आय–व्यय का लेखा–जोखा प्रस्तुत करना। न्यास संचालन में अध्यक्ष को सहयोग करना।

(iv) उपसचिव

सचिव के कार्य में सहायता सहयोग करना तथा उनके द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य करना आदि।

(iv) कोषाध्यक्ष

न्यास संचालन हेतु कोष का प्रबन्ध करना। कोष, आय–व्यय का ब्यौरा एंव स्त्रोतों को बैठक में प्रस्तुत करना। न्यास के लिए दान–चन्दा प्राप्त करना व रसीद देना। अध्यक्ष महोदय को सहयोग करना। बैंक, पोस्ट आफिस आदि में धन जमा करना।

शेष पृष्ठ 6 पर

(iv) न्यासी

1. न्यास के न्यासी जाति भेद रहित होंगे। वह ही न्यासी मनोनीत होगा जो न्यास के उद्देश्यों का पालन करेगा।
2. न्यास मण्डल के गठन के अन्तर्गत, यह निर्धारित कर दिया गया हैं कि वर्तमान में अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 अन्य न्यासी होगें।
3. प्रत्येक न्यासी का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।
4. प्रत्येक न्यासी अपने कार्य के लिए न्यासी के प्रति उत्तरदायी होंगे।

न्यास की कार्यकारिणी एंव पदाधिकारियों के नाम व पते जिनको न्यास का कार्यभार सौंपा गया हैं–

न्यास मण्डल की नामावली

क्र0सं0	नाम	पिता /पति का नाम	पता	व्यवसाय	पद
1.	श्री नसीम अहमद	पुत्र श्री दिलशाद	मं सं0–258, ग्राम–रहमतपुर,पो0–पीरान कलियर, रूड़की हरिद्वार	सर्विस	अध्यक्ष /संस्थापक
2..	श्री गुलाम फरीद	पुत्र श्री शब्बीर अहमद	मं सं0–698 पिरान कलियर, रूड़की हरिद्वार	सर्विस	उपाध्यक्ष
3.	श्री मोईन साबरी	पुत्र श्री सुलेमान	मं सं0–258, ग्राम–रहमतपुर,पो0–पीरान कलियर, रूड़की हरिद्वार	सर्विस	सचिव
4.	श्री जमशेद अली	पुत्र श्री अब्दुल मजीद	मं सं0–52 मिर्जापुर मुस्तफाबाद, ज्वालापुर हरिद्वार	चिकित्सक	उपसचिव
5.	श्री मेघराज सैनी	पुत्र स्व0 श्री नत्थू सैनी	मं सं0–54 मूलदासपुर उर्फ माजरा, रूड़की हरिद्वार	कृषि	कोषाध्यक्ष

8. न्यासियों की कार्यमुक्ति

निम्नलिखित स्थिति में से किसी एक या अधिक कारणों से न्यासी का स्थान रिक्त समझा जायेगा।

(i) अपनी इच्छा से त्याग–पत्र देने पर, मृत्यु होने पर, पागल होने पर, नियमों का पालन न करने पर न्यास से दुर्व्यवहार करने पर, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।

(ii) न्यास की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना, न्यास सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना या दुरूपयोग या गबन करने पर।

(iii)न्यायालय द्वारा दण्डित, दिवालिया घोषित या अपराध प्रवृत्ति अथवा कानून की दृष्टि मे इकरार करने के अयोग्य हो जाने पर।

(iv)बिना कारण बताये लगातार 3 मीटिंग में अनुपस्थित रहने पर।

शेष पृष्ठ 7 पर

Naseem Ahmad

(v) कार्यकाल पूरा होने पर।

(vi)न्यास की मूल भावना के अनुरूप कार्य नहीं करने पर, अध्यक्ष किसी भी पदाधिकारी अथवा न्यासी को उसके दायित्व से मुक्त कर सकता हैं। किसी भी न्यासी के उपरोक्त कारणों से हटने पर उसके रिक्त स्थान की पूर्ति न्यासी मंडल तीन माह के अन्दर 2/3 बहुमत से कर सकेगा।

9. **न्यास मण्डल की बैठक**

(i) वर्ष में एक बैठक आवश्यक हैं जिसे वार्षिक बैठक कहा जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर वर्ष में एक से अधिक बैठकें आयोजित की जा सकती है। वार्षिक बैठक के अलावा सभी बैठकों को असाधारण बैठक के नाम से जाना जायेगा।

(ii) सूचना अवधि

वार्षिक बैठक की सूचना कम से कम 21 दिन पूर्व एवं असाधारण बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व न्यासियों को दी जानी अनिवार्य है। लेकिन विशेष परिस्थिति में बैठक की अल्पावधि सूचना द्वारा भी बुलाया जा सकता है। बैठक की सूचना में बैठक के विषय (एजेण्डा) देना आवश्यक होगा।

(iii)कोरम/गणपूर्ति

कुल न्यासियों की संख्या का 2/3 या तीन न्यासी, जो भी अधिक हो की उपस्थिति कोरम/गणपूर्ति मानी जायेगी। कोरम/गणपूर्ति के अभाव में दूसरी बैठक बुलाई जायेगी तथा इस (दूसरी) बैठक के लिए कोरम/गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(iv) बैठक में कोई भी प्रस्ताव अध्यक्ष की सहमति के बिना स्वीकृत नहीं हो सकता हैं।

10. **न्यासी मण्डल के कर्त्तव्य**

(i) न्यास सम्पत्ति की देख–रेख करना।

(ii) जनसाधारण व सेवकों से न्यास हेतु दान, भेंट, सहायता प्राप्त करना।

(iii)जरूरत पड़ने पर, अध्यक्ष महोदय की सहमति व अनुमोदन से नियमों व उपनियमों में परिवर्तन करना।

(iv) ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त कर उसका प्रबन्ध करना तथा उसको न्यास को समर्पित करना।

(v) ट्रस्ट का वार्षिक बजट बनाकर, वार्षिक सभा में प्रस्तुत करना।

(vi)वार्षिक मेलों, अर्द्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ आदि पर्वों पर विशेष तत्परता दिखाना, न्यास के कार्यों की रूप रेखा बनाकर उन्हें पूर्ण करना और करवाना।

(vii)उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, समाज कल्याण विभाग, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केन्द्रीय व एंव राजकीय महिला कल्याण निगम, वित्तीय संस्थाओं, संस्थानों, बैंकों, दानदाताओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एंव नागरिको से आर्थिक सहायता, ऋण, दान, अनुदान, चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के हित में प्राप्त करना। तथा ऋण की सुरक्षा हेतु ट्रस्ट की अचल सम्पति को बन्धक रखना।

शेष पृष्ठ 8 पर

Trust (Movable)

Trust (Movable)

प्रलेख सं **155** बही **4**

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
300.00	20.00	180.00	500.00	1000

श्री साबरी बुलबुल दिलशाद अली ट्रस्ट द्वारा नसीम अहमद

पुत्र श्री दिलशाद

पेशा अन्य

निवासी म0नं0 258 ग्राम रहमतपुर पो0पिरान कलियर रूडकी जिला हरिद्वार

ने आज दिनांक 17/07/2013 समय 4:23 pm

को कार्यालय उपनिबन्धक रुडकी(द्वितीय)

मे प्रस्तुत किया

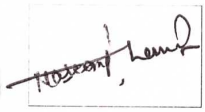

साबरी बुलबुल दिलशाद अली ट्रस्ट द्वारा नसीम अहमद

उपनिबन्धक रुडकी(द्वितीय)
17-Jul-2013

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझ श्री साबरी बुलबुल दिलशाद अली ट्रस्ट द्वारा नसीम अहमद s/o दिलशाद , म0नं0 258 ग्राम रहमतपुर पो0पिरान कलियर रूडकी जिला हरिद्वार/

ने स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान

श्री राशिद अली

पुत्र श्री निसार

निवासी ग्राम रहमतपुर पो0पिरान कलियर रूडकी जिला हरिद्वार

श्री लुकमान अली

पुत्र श्री कुर्बान

निवासी ग्राम रहमतपुर पो0पिरान कलियर रूडकी जिला हरिद्वार

ने की।

उपनिबन्धक रुडकी(द्वितीय)
17-Jul-2013

11. **न्यास का संचालन**

न्यास का संचालन अध्यक्ष महोदय करेंगे। समस्त न्यासीगण, न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा न्यास के समस्त प्रबन्ध कार्यों को चलाने के लिए अध्यक्ष महोदय के प्रति उत्तरदायी एवं सहयोगी होंगे।

12. **न्यास का कोष**

(i) न्यास के कोष के लिए शिडयूल्ड बैंक/डाकघर में खाता खोला जायेगा, जो सुविधानुसार एक से अधिक बैंक और डाकघर में भी हो सकता हैं।

(ii) मुख्य खाते का संचालन अध्यक्ष,सचिव व कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा जिसमे अध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिर्वाय होगें।

(iii) न्यास की स्थायी निधि और इससे प्राप्त ब्याज को आयकर अधिनियम के अनुसार ही निवेशित किया जाएगा।

13. **न्यास के नियमों व उपनियमों का संशोधन**

न्यासी मण्डल सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से न्यास के नियमों व उपनियमों में अध्यक्ष महोदय की सहमति/अनुमोदन से संशोधन हो सकेगा।

14. **न्यास के लेखे परीक्षण**

प्रत्येक वित वर्ष के लिए न्यास के आय–व्यय का हिसाब नियमानुसार रखा जायेगा।

15. **कानूनी कार्यवाही**

न्यास के सभी कानूनी कार्य को करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव या किसी भी न्यासी को इस कार्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं। न्यास का कानूनी क्षेत्र रूड़की न्यायालय होगा।

16. **संरक्षण मण्डल**

न्यास को सुझाव देने के लिए एक संरक्षक मण्डल का गठन किया जायेगा। इस संरक्षक मण्डल में समाज के प्रतिष्ठित एंव बुद्धिजीवी महानुभावों को सम्मिलित किया जायेगा। जिनसे समय–समय पर बहुमूल्य मार्गदर्शन मिल सके और न्यास के दिशा–निर्देशक के रूप में जन कल्याणार्थं कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु सहायता मिल सकें परन्तु संरक्षक मंडल को न्यास के कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

17. **न्यास का विघटन**

न्यास कभी भी विघटित नहीं होगा, अगर होगा तो इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के प्रावधानों के तहत होगा। न्यास की सम्पत्ति का प्रयोग/दुरूपयोग कोई भी न्यासी निजी तौर पर या अपने सगे–सम्बन्धियों, मित्र या स्वार्थ के लिए नहीं कर सकेगा। न्यास की किसी भी न्यासी या सदस्य के व्यक्तिगत कर्ज एंव अन्य प्रकार के ऋणों की अदायगी की जिम्मेदारी नहीं होगी।

शेष पृष्ठ 9 पर

0101Book 4 Registration Year 2013 Registration No 155

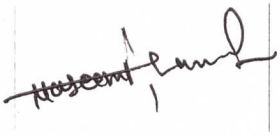

साबरी बुलबुल दिलशाद अली ट्रस्ट | राशिद अली | लुकमान अली

प्रतिज्ञ एंव साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं । सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है।

उपनिबन्धक रुडकी(द्वितीय)
17-July-2013

मैं एतद्द्वारा साक्षीगणों की उपस्थिति में नीचे हस्ताक्षर कर इस न्यास घोषणा–पत्र का निष्पादन करता हूँ।

बायें हाथ की अंगुलियों के निशान–

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान–

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

(नसीम अहमद)
संस्थापक / अध्यक्ष

दिनांक –17–07–2013
स्थान –रूड़की

साक्षी – 1 राशिद अली s/o निसार (Voter I.d. YRE0062059)
ग्राम- रहमतपुर, पो०- पीरान कलियर,
त० - रुड़की, हरिद्वार

शहताब (DL.No. UK-08201000340)

साक्षी – 2 शहताब, पुत्र शमीम अहमद
ग्राम – मंगलौर महावतपुर,
रुड़की, हरिद्वार।

2- लुकमान अली पुत्र श्री कुर्बान (Voter I.d YRE0245571)
ग्राम – रहमतपुर, पो० पिरान कलियर,
रुड़की जिला – हरिद्वार।

PRASHANT RAJPUT Advocate 9412941847 Jwalapur, Hardwar

रचियता
प्रशान्त राजपूत
एडवोकेट

बही नम्बर 4 जिल्द 29 पृष्ठ 279 से 296

में नम्बर 155 पर आज दिनांक 17-July-2013

में रजिस्ट्री की गयी ।

17-7-13

उप निबन्धक रुडकी(द्वितीय)